

(iii) cyanoacrylate and pressure sensitive adhesives (developed by Indian Institute of Chemical Technology and since productionised).

iv. pheromones (developed by Indian Institute of Chemical Technology and since productionised).

v. ethanol from molasses (developed by National Chemical Laboratory and since commercialised).

vi. ferromagnetic chromium dioxide (developed by National Aeronautical Laboratory, negotiations for commercialisation are in progress).

vii. bricks from fly ash (developed by Central Fuel Research Institute and since productionised).

viii. improved oil expeller (developed by Mechanical Research and Development Organisation and since commercialised).

ix. automatic weather station (developed by National Institute of Oceanography, negotiations with potential users are in progress).

x. flexible graphite tapes and sheets (developed by National Chemical Laboratory and since commercialised).

xi. biological rope contractor (developed by National Environmental Engineering Research Institute and since commercialised).

xii. palm oil extraction developed by Regional Research Laboratory, Trivandrum and pilot plant set up).

(b) and (c) Yes, Sir. Both the CSIR and National Research Development Corporation (NRDC) have established mechanisms to publicise the technologies available to industry. CSIR has further interaction with industry organisations and industrial units to promote the use of its technologies.

समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की शीर्षक का  
आवंटन

723. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम  
अफजल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का एक बार शीर्षक का आवंटन कर दिये जाने के बाद, किसी भी दशा में (चाहे उस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो जाए, या उसके स्वामी की मृत्यु हो जाती है) उसका आवंटन किसी दूसरे समाचार पत्र/पत्रिका को नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या जो व्यक्ति नई पत्रिका प्रकाशित करना चाहते हैं उन्हें ऐसी स्थिति में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है और इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय से उपमंत्री (कुमारी पारजा व्यास) : (क) जी, हाँ। तथापि किसी आवेदक को शीर्षक का आवंटन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तब किया जाता है जब भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा यह सत्यापित कर दिया जाता है कि शीर्षक अमूक आवंटन के लिये उपलब्ध है।

(ख) मालिक द्वारा की गई घोषणा को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधि-प्रमाणित कर दिए जाने के बाद वह शीर्षक उस मालिक की संपत्ति बन जाता है। वह शीर्षक मालिक द्वारा अथवा उसके मालिक की मृत्यु के पश्चात् कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। प्रकाशन बंद हो जाने की मूर्त में, मालिक द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष नई घोषणा दाखल करने के बाद उसे फिर से शुरू किया जा सकता है।

(ग) नए आवेदकों को कठिन इयां होती हैं लेकिन जब कभी विशिष्ट शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं तो उनका जांच की जाती है।